आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकःएफ.7(4)प्रवेश/अकाद/आकाशि/2021/139 दिनांक 16 अप्रैल, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– कोविड–19 की दूसरी लहर के संबंध में।

संदर्भः– गृह (ग्रुप–9) विभाग के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर दिनांक 14.04.2021 एवं आयुक्तालय के आदेश क्रमांक एफ.7(4)प्रवेश/ अकाद/ आकाशि/2021/135 दिनांक 15.04.2021.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि महाविद्यालय में शिक्षण व्यवस्था एवं स्टाफ की उपस्थिति हेतु निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे –

1. गृह विभाग के पत्रांक प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर दिनांक 14.04.2021 के बिन्दु संख्या 11, a, (i) के अनुसार महाविद्यालय में कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक होने की स्थिति में कार्यालय उपस्थिति 50 प्रतिशत ही अनुमत होगी एवं शेष कार्मिक वर्क फ्रॉम होम करेंगे।

2. राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन/कर्फ्यू लगाये जाने एवं कन्टेनमेंट जोन घोषित किये जाने की स्थिति में आप स्थानीय प्रशासन के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।

3. महाविद्यालय में ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से कक्षाओं का संचालन किया जाकर पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बाबू लाल गोयल)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वेब प्रभारी को अपलोड़ करने बाबत्।

16/4

(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)